संख्या– 888/XXXVI(2)/25/28(बजट)/2025

प्रेषक,

प्रशान्त जोशी,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक सितम्बर, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रपोषित योजना ''रेप एण्ड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट'' के अन्तर्गत केन्द्रांश की देय धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि उप सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रपोषित योजना ''रेप एण्ड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट'' (Setting up of Fast Track Special Courts for Expenditious Trial and Disposal of Rape and POCSO Act Pending Cases) के अन्तर्गत पत्र संख्या–15011/04/2021–Jus-II/6422, दिनांक 11.09.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु केन्द्रांश की देय धनराशि रू0 28,44,005/– आवंटित की गयी है।

2– प्रश्नगत योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित की गई धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड राजकोष में प्राप्ति विषयक पुष्टि वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बज़ट) उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–137/बजट/2025–26, दिनांक 22.09.2025 द्वारा की गयी है।

3– अवगत ही हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना Reimbursement basis पर संचालित की गयी है।

4– इस संबंध में भारत सरकार तथा वित्त विभाग (बज़ट) उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त उल्लिखित पत्रों की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार से उपरोक्तानुसार प्राप्त हुई केन्द्रांश की धनराशि के अग्रेत्तर लेखांकन/रिकार्ड तद्नुरूप अद्यतन किये जाने सहित आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

Digitally signed by Prashant Joshi
Date: 25-09-2025 12:16:12

भवदीय,

(प्रशान्त जोशी)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक–तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, देहरादून को भारत सरकार के उपरोक्त

उल्लिखित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित।

2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भारत सरकार के उपरोक्त उल्लिखित पत्र की छाया प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित।
3. अवर सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, भारत सरकार, जैसलमेर हाउस, 26–मानसिंह रोड, नई दिल्ली, 110011।
4. जिला न्यायाधीश, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के आशय से प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, पी0एफ0एम0एस0 कार्यालय, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर।
7. बज़ट अधिकारी/सलाहकार, बज़ट निदेशालय, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बज़ट) उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Manish Kumar Pandey
Date: 25-09-2025
12:20:00

(मनीष कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव